No.A.12025/1/2016-E.III Government of India

Ministry of Jal Shakti Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, dated 24th February, 2020

CHRM)

To

- 1. The Secretaries of all Ministries/ Department of Govt. of India as per list attached.
- 2. Chief Secretaries All State Govts./UT Administration as per list attached.
- 3. All organisations under M/o WR, RD & GR as per list attached.

Subject:- Filling up of one post of Section Officer in Farakka Barrage Project, a sub-ordinate office under Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation on deputation (including short term contract) basis.

Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even number dated 27.09.2019 and 23.12.2019 on the subject mentioned above and to say that the last date of receipt of applications for filling up the one post of Section Officer in the Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix on deputation (including short term contract) basis in Farakka Barrage Project, Murshidabad, a sub-ordinate office under this Department is again extended for a period of 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. The detailed vacancy circular is available on this Department's website – http://mowr.gov.in/. The candidates applied earlier need not apply again.

2. This may please be given wide circulation in the various units of your organization.

Yours faithfully,

Encl:- As above.

Under Secretary to the Govt. of India
Tele No. 23714350

Copy to: NIC with request for uploading the enclosed advertisement on the Ministry's website.



No.A.12025/1/2016-E.III
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, dated 27th September, 2019

To

- 1. The Secretaries of all Ministries/ Department of Govt. of India as per list attached.
- 2. Chief Secretaries All State Govts./UT Administration as per list attached.
- 3. All organisations under M/o WR, RD & GR as per list attached.

Subject:- Filling up of one post of Section Officer in Farakka Barrage Project, a sub-ordinate office under Ministry of Jal Shakti, Department of w Resources, River Development & Ganga Rejuvenation on deputation (including short term contract) basis.

Sir,

I am directed to say that Farakka Barrage Project, sub-ordinate office under Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation proposes to fill up of the 01 (one) post of Section Officer in the Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix on deputation(including short term contract) basis from amongst suitable and eligible officers working under the Central Government or State Government/Union Territories or Semi-Government or Public Sector Undertaking or Statutory bodies or Autonomous Bodies or Recognised Universities or Research Institutions. The eligibility conditions, qualifications and experience required for the post and other details are given in Annexure-1.

- 2. It is requested that applications (in quadruplicate) of suitable and eligible officers and who can be spared immediately in the event of selection may be sent to Shri K.H. Sivaramakrishnan, Under Secretary (E-III), 6th Floor (Room No. 625), Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 within a period of 60 days from the date of publication of this advertisement in the *Employment News / RozgarSamachar*.
- 3. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma as given in Annexure-2 (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance as given in Annexure-3(iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years as given in Annexure-4 and (v) Integrity Certificate as given in Annexure-5 and (vi) Cadre Clearance. The Annexure-2 to 5 are available on this Ministry's website (http://mowr.gov.in/) and may be downloaded therefrom.
- 4. Applications received after the closing date or without prescribed documents or otherwise found incomplete or not in the prescribed Proforma are liable to be rejected. Officers in case of selection for the post will not be allowed to withdraw their candidature subsequently.

Annexure-1

Name of Post 1. Section Officer, Farakka Barrage Project 2. Number of Posts 01 (one) 3. Classification General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial 4. Pay Band/Grade Pay : Level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix. 5. Period of deputation : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of Central Government shall be not exceeding three years. 6. Duties and responsibilities : Section Officer has to perform duties as directed by seniors. of the post Draft laws, put up notes, prepares summaries, manage the relevant records. Reply to letters, communicate with the other departments etc. Section Officer is the head of concerned section to supervise the Administrative, Accounts and confidential matters. 7. Pay & Allowances The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time). 8. Qualifications, Officers of the Central Government or State Experiences and Eligibility Government/Union Territories or Semi-Government or required for the post Public Sector Undertaking or Statutory bodies or Autonomous Bodies or Recognised Universities or Research Institutions: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational qualification and experience:-(i) Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University. (ii) 2 years experience in Establishment and Accounts matter.

Note 1: The Departmental Officers in the feeder grade who are direct in line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

The maximum age limit for appointment by deputation (including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

- (d) Government Undertaking
- (e) Universities
- 11. Are you in the Revised Pay Structure? If yes, give the Date from which the revision took place and also Indicate the pre-revised scale
- 12. Total emoluments per month now drawn:
- 13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.
- 14. Whether belonging to SC/ST
- 15. Remarks

Signature of the candidate

Date:

It is certified that information furnished by the applicant is verified with his / her service record and found correct.

Countersigned with office seal by the authorized signatory of the parent office

Signature of the Competent Authority

सं. ए 12025/1/2016-स्थापना-।।।
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विंकास और गंगा संरक्षण विभाग

31 = yay - 5 2 42 +3.31. (4.285)

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली, दिनांक: 21-02-2020 24

सेवा में

- 1. संलग्न सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
- 2. संलग्न सूची के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव।
 - संलग्न सूची के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठन।

विषय: जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय नामतः फरक्का बैराज परियोजना में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) के आधार पर अनुभाग अधिकारी का एक पद भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 27.09.2019 के और दिनांक 23.12.2019 के समसंख्यक पत्र के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय नामतः फरक्का बैराज परियोजना, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल - 742212 में प्रतिनियुक्ति (अल्पाविध संविदा सहित) आधार पर वेतन मेट्रिक्स में लेवल-7 (44900-142400) रूपये में अनुभाग अधिकारी का एक पद भरे जाने के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को इस विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशन से 30 दिनों की अविध के लिए पुनः बढ़ाया जाता है । विस्तृत रिक्ति परिपत्र इस विभाग कि वेबसाइट - http://mowr.gov.in/ पर उपलब्ध है । पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

कृपया इसका अपने संगठन की विभिन्न इकाईयों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

भवदीय,

संलग्नक : अनुलग्नक 1 से 5

श्रिम जाग्रेपी (एस॰बी॰ पाण्डेय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 23714350

प्रतिलिपि: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

सं. ए 12025/1/2016-स्थापना-।।।

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली, दिनांक: 27 सितम्बर, 2019

सेवा में

- 1. संलग्न सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
- 2. संलग्न सूची के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव।
- संलग्न सूची के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठन।

विषय: जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय नामतः फरक्का बैराज परियोजना में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) के आधार पर अनुभाग अधिकारी का एक पद भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय नामतः फरक्का बैराज परियोजना में वेतन मैट्रिक्स लेवल- 7 (44900-142400 रूपए) के वेतनमान में अनुभाग अधिकारीका एक पद केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्धसरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक निकायों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं में कार्य कर रहे उपयुक्त एवं पात्र अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) के आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है। पद के लिए अपेक्षित पात्रता शर्ते, योग्यता और अनुभव तथा अन्य ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

- 2. अनुरोध है कि उपयुक्त एवं पात्र अधिकारियों, जिन्हें चयन हो जाने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन (चार प्रतियों) में श्री के. एच. शिवरामकृष्णन, अवर सचिव (स्थापना-III), छठा तल (कमरा सं. 635), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को इस विज्ञापन के इम्पलॉइमेंट न्यूज / रोजगार समाचार में प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भिजवाये जा सकते हैं।
- 3. केवल उन्हीं अधिकारियों/उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जायेगा जो उचित माध्यम से भेजे जायेंगे और उनके साथ (i) अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रोफार्मा में जीवन-वृत्त (चार प्रतियां); (ii) पिछले पांच वर्षों की एसीआर /एपीएआर की फोटो प्रतियां जो एक ऐसे अधिकारी द्वारा अधि-प्रमाणित हों जिसका स्तर अवर सचिव से कम न हो, (iii) अनुलग्नक-3 में दिए गए अनुसार सर्वकता निकासी, (iv) अनुलग्नक-4 में दिए गए अनुसार अधिकारी

1 पद का नाम अनुआग अधिकारी, फरक्का बैराज परियोजना 2 पदों की संख्या 01 (एक) 3 वर्गीकरण सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय 4 वेतन बैंड तेतन मैंट्रिक्स में लेवल- 7 (44900-142400 रूपए) 5 प्रतिनियुक्ति की अविधि इस संगठन अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन आविभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य काडर-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अविध सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। 6 पद के कर्तव्य एवं द्वायित्व अनुआग अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य का निष्पादन करना होगा। नियमों का मसौदा बनाना होगा, नोट प्रस्तुत करने होंगे, सार तैयार करना होगा, संबंधित रिकॉर्ड का प्रबंधन करना होगा। पत्रों का उत्तर देना, अन्य विभागों से पत्राचार करना आदि कार्य करने होंगे। अनुआग का प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। 7. वेतन एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग करता है। यान किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या (है/2009-स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शर्तों के अनुसार अपना बेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहिरत करने अथवा प्रतिनियुक्ति (द्वाय के विलय्प के वित्तन मियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा सार्वाणिक का विकल्प होए हैं;अथवा (ते) अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैंट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान मैं नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अईता एवं अनुभव हो;	4	\	अनुलग्नक-
वर्गीकरण सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय वेतन बैंड वेतन मैंट्रिक्स में लेवल- 7 (44900-142400 रूपए) प्रतिनियुक्ति की अविधि के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति अविधि के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति अविधि सहित सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। पद के कर्तव्य एवं वायित्व कार्यका निर्मात करना होगा, नोट प्रस्तुत करने होंगे, सार तैयार करना होगा, नोट प्रस्तुत करने होंगे, सार तैयार करना होगा, संविधित रिकॉर्ड का प्रवंधन करना होगा। पत्रों का उत्तर देना, अन्य विभागों से पत्राचार करना आदि कार्य करते होंगे। अनुभाग अधिकारी संबंधित अनुभाग का प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। वेतन एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यात्य जापन संख्या (6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयुटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनयुक्ति (इयुटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनयुक्ति (इयुटी) भत्ता अहरित करने अथवा प्रतिनयुक्ति (इयुटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनयुक्ति (इयुटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनयुक्ति (इयुटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनयुक्ति (इयुटी) भत्ता अधिकारी किसा अथवा साव्यत्त निकाय अथवा साविधिक निकाय अथवा स्वयत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सहश्य पद धारण किए हुए हैं अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैंद्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुत्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नतिविद शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			अनुभाग अधिकारी, फरक्का बैराज परियोजना
वेतन बैंड वेतन मैट्रिक्स में लेवल- 7 (44900-142400 रूपए) प्रतिनियुक्ति की अविध प्रतिनयुक्ति की अविध प्रतिनयुक्ति की अविध प्रतिनयुक्ति अविध पर के कर्तव्य एवं व्यायत्व पर्व के कर्तव्य एवं व्यायत्व प्रतिनयुक्ति अविध प्रतिनयुक्ति करने होंगे। न्याया करना ओदि कार्य करने होंगे। अनुभाग अधिकारी को प्रविच अनुभाग ना प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का प्रयुक्ति करते होंगे। अनुभाग अधिकारी को कार्यालय जापन संख्या (ह/८/१०००)-स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शर्तो के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनयुक्ति (इयुटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनयुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक केन्द्र अथवा राज्य सरकार (संघ राज्य क्षेत्र अथवा सरकार) अथवा सरकार (संघ राज्य क्षेत्र अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (і) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं अथवा (іі) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैंदिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पंच वर्ष की सेवा दी हो;और			01 (एक)
वितन बैंड वेतन मैट्रिक्स में लेवल- 7 (44900-142400 रूपए) प्रितिनियुक्ति की अविधे इस संगठन अथवा केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य काडर-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अविध सिंहत सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। पद के कर्तव्य एवं अनुभाग अधिकारी को विरुष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य का निष्पादन करना होगा। नियमों का मसौदा बनाना होगा, नोट प्रस्तुत करने होंगे, सार तैयार करना होगा, संबंधित रिकॉर्ड का प्रबंधन करना होगा। पत्रों का उत्तर देना, अन्य विभागों से पत्राचार करना आदि कार्य करने होंगे। अनुभाग अधिकारी संबंधित अनुभाग का प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। वेतन एवं अत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या (6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनयुक्त (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनयुक्त (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनयुक्त (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनयुक्त (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनयुक्त पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। कि पर के लिए आवश्यक केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा सांविधिक निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वतिद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सहश्य पद धारण किए हुए हैं,अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पंच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नतिवित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय
अविध के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य नाडर-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अविध सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। 6 पद के कर्तव्य एवं अनुभाग अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य का निष्पादन करना होगा। नियमों का मसौदा बनाना होगा, नोट प्रस्तुत करने होंगे, सार तैयार करना होगा, संबंधित रिकॉर्ड का प्रबंधन करना होगा। पत्रों का उत्तर देना, अन्य विभागों से पत्राचार करना आदि कार्य करते होंगे। अनुभाग अधिकारी संबंधित अनुभाग का प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। 7. वैतन एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और पत्रकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सार्वचित्रवायायाँ अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समनुत्य वेतनमान में लेवमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नितिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	4	वेतन बैंड	
के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य काडर-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अविध सिहत सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। 6 पद के कर्तव्य एवं दायित्व वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनुभाग अधिकारी को विष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य का निष्पादन करना होगा। नियमों का मसौदा बनाना होगा, नोट प्रस्तुत करने होंगे, सार तैयार करना होगा, संबंधित रिकॉर्ड का प्रबंधन करना होगा। पत्रों का उत्तर देना, अन्य विभागों से पत्राचार करना भादि कार्य करने होंगे। अनुभाग अधिकारी संबंधित अनुभाग का प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। 7. वेतन एवं भत्ते चिसने गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहिरत करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्द सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सार्विधिक निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रुपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नतिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	5	प्रतिनियुक्ति की	प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस संगठन अथवा केन्द्र सरकार
पहले धारित अन्य काडर-बाह्य पद की प्रतिनियुक्ति अविधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। 6 पद के कर्तव्य एवं अनुभाग अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य का निष्पादन करना होगा। नियमों का मसौदा बनाना होगा, नोट प्रस्तुत करने होंगे, सार तैयार करना होगा, संबंधित रिकॉर्ड का प्रबंधन करना होगा। पत्रों का उत्तर देना, अन्य विभागों से पत्राचार करना आदि कार्य करने होंगे। अनुभाग अधिकारी संबंधित अनुभाग का प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। 7. वेतन एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और परकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (і) जो नियमित आधार पर सहश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (іі) मृत संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मेट्रिक्स में लेवल- 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव		अवधि	
सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। पद के कर्तव्य एवं उनुभाग अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य का निष्पादन करना होगा। नियमों का मसौदा बनाना होगा, नोट प्रस्तुत करने होंगे, सार तैयार करना होगा, संबंधित रिकॉर्ड का प्रबंधन करना होगा। पत्रों का उत्तर देना, अन्य विभागों से पत्राचार करना ओदि कार्य करने होंगे। अनुभाग अधिकारी संबंधित अनुभाग का प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। 7. वेतन एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) {समय-समय पर यथा- संशोधित} की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनयुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनयुक्ति । श्रेष्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा स्वयत्ति निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मेंट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (छ) जिसके पास निम्नतिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			
दायित्व कार्य का निष्पादन करना होगा। नियमों का मसौदा बनाना होगा, नोट प्रस्तुत करने होंगे, सार तैयार करना होगा। पत्रों का उत्तर देना, अन्य विभागों से पत्राचार करना ओदि कार्य करने होंगे। अनुभाग अधिकारी संबंधित अनुभाग का प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। 7. वेतन एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्ब सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा स्वायन्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्निलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			
तार्यत्व कार्य का निष्पादन करना होगा। नियमों का मसौदा बताना होगा, नोट प्रस्तुत करने होंगे, सार तैयार करना होगा। संबंधित रिकॉर्ड का प्रबंधन करना होगा। पत्रों का उत्तर देना, अन्य विभागों से पत्राचार करना आदि कार्य करने होंगे। अनुभाग अधिकारी संबंधित अनुभाग का प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। 7. वेतन एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सार्विधिक निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सार्विधिक निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्निलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	6	पद के कर्तव्य एवं	अनुभाग अधिकारी को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशान्सार
होगा, नोट प्रस्तुत करने होंगे, सार तैयार करना होगा, संबंधित रिकॉर्ड का प्रबंधन करना होगा। पत्रों का उत्तर देना, अन्य विभागों से पत्राचार करना भादि कार्य करने होंगे। अनुभाग अधिकारी संबंधित अनुभाग का प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। 7. वेतन एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्निलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव		दायित्व	
संबंधित रिकॉर्ड का प्रबंधन करना होगा। पत्रों का उत्तर देना, अन्य विभागों से पत्राचार करना आदि कार्य करने होंगे। अनुभाग अधिकारी संबंधित अनुभाग का प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। 7. वैतन एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और पात्रता केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा सांविधिक निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा सांविधिक विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मेट्रिक्स में लेवल 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			
देना, अन्य विभागों से पत्राचार करना आदि कार्य करने होंगे। अनुभाग अधिकारी संबंधित अनुभाग का प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। 7. वेतन एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की शतों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति एद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और सरकारी अथवा सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्निलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			संबंधित रिकॉर्ड का प्रबंधन करना होगा। पत्रों का उत्तर
होंगे। अनुभाग अधिकारी संबंधित अनुभाग का प्रमुख होता है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। 7. वेतन एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) {समय-समय पर यथा-संशोधित} की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और पात्रता भव्या सार्वजिनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा सार्वजिनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्निलिखत शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			
है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण करता है। 7. वेतन एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) {समय-समय पर यथा-संशोधित} की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक पात्रता निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			
करता है। 7. वेतन एवं भत्ते चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) {समय-समय पर यथा-संशोधित} की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक अन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा आई सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्निलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			है जो प्रशासनिक, लेखा एवं गोपनीय मामलों का पर्यवेक्षण
के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) {समय-समय पर यथा-संशोधित} की शतों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और पात्रता केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा साविधिक निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			
के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन II) {समय-समय पर यथा-संशोधित} की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्द्ध सरकारि, अनुभव और पात्रता निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा सवायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	7.	वेतन एवं भत्ते	चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
6/8/2009-स्थापना (वेतन ॥) {समय-समय पर यथा- संशोधित} की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक पात्रता निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मेट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नितिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			
संशोधित} की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्द सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक पात्रता निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव		9	
प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्द्ध अर्हताएं, अनुभव और सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			
प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्द्ध अर्हताएं, अनुभव और सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक पात्रता निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			
का विकल्प होगा। 8. पद के लिए आवश्यक केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्द्ध अर्हताएं, अनुभव और सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा साविधिक पात्रता निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			
अर्हताएं, अनुभव और पात्रता सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्निलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			_
अर्हताएं, अनुभव और पात्रता सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा सांविधिक निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी-(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्निलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	8.	पद के लिए आवश्यक	केन्द्र अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अथवा अर्द्ध
पात्रता निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव		अर्हताएं, अनुभव और	
विश्वविद्यालयों अथवा शोध संस्थाओं के ऐसे अधिकारी- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव		पात्रता	
(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव		,	
हैं;अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			98 28 10
मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			5
मैट्रिक्स में लेवल - 6 (35400-112400 रूपए) अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में निय्क्ति के बाद वेतन
सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव		gan dita	
सेवा दी हो;और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव			*
	, e.e.		and the state of t
			(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनभव
			9

अनुलग्नक-2

जीवन-वृत्त प्रपत्र

- नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों. में) : टेलीफोन नंबर :
- 2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में) :
- केन्द्र सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख :
- 4. शैक्षिक योग्यता :
- 5. क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं । (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)

अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/ अनुभव
अनिवार्य	3
वांछित	

- 6. कृपया आप स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षा पूरी करते हैं
- 7. कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यौरे (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा भली-भांति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें ।) :

कार्यालय/संस्था	धारित पद	से	तक	वेतन बैंड में	कार्य का स
/संगठन का	और सेवा /			वेतन और पद	वरूप
नाम	कैडर जिससे	*		की श्रेणी	
	यह संबंधित				
	है				

- 8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात
 - (i) तदर्थ आधार
 - (ii) स्थाई /अस्थाई आधार पर
 - (iii) वेतन बैंड में वेतन
 - (iv) आहरित ग्रेड वेतन
- 9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति।अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें
 - (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
 - (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि
 - (ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम
- 10. वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण : कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं-

अनुलग्नक-3

सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र

पुष्टि की जाती है कि डा ./श्री/श्रीमती/सुश्रीजिन्होंने
के पद के लिए आवेदन किया है, के
विरूद्ध न तो कोई सतर्कता निकासी अथवा अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक कार्रवाई लंबित है
और न ही शुरू किए जाने का विचार है।
(गाष्ट्रिक्ट अस्तिकारी)
(प्राधिकृत अधिकारी) नाम और कार्यालय की मोहर
दिनांक :
अनुलग्नक-4
शास्ति प्रमाण-पत्र
पुष्टि की जाती है कि डा ./श्री/श्रीमती/सृश्रीजिन्होंने
के पद के लिए आवेदन किया है,पर
पिछले 10 वर्षों में कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगायी गयी है।
(प्राधिकृत अधिकारी)
नाम और कार्यालय की मोहर दिनांक :
विभाक्त .
अनुलग्नक-5
सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र
डा./श्री/श्रीमती/सुश्रीमं प्रतिनियुक्ति के
आधार पर के पद के लिए आवेदन किया है,की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जांच करने
के बाद यह प्रमाणितिकया जाता है कि उनकी सत्यिनिष्ठा में कोई संदेह नहीं है।

(उप सचिव अथवा उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है) नाम और कार्यालय की मोहर दिनांक :

- (क) केन्द्र सरकार
- (ख) राज्य सरकार
- (ग) स्वायत्त संगठन
- (घ) सरकारी उपक्रम
- (ङ) विश्वविद्यालय
- 11. क्या आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें
- 12. वर्तमान में आहरित कुल मासिक परिलब्धियां
- 13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हों । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें।

File No.A.12025/1/2016-E-III

- 14. क्या अन्सूचित जाति/अन्सूचित जनजाति से संबंधित हैं।
- 15. अभ्युक्तियां

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

यह पुष्टि की जाती है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर ली गई है और सही पायी गयी है।

मूल कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर और मोहर

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। (ii) स्थापना एवं लेखा मामलों में 2 वर्ष का अन्भव।					
		टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोन					
		नित के पात्र हैं उनप्र प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा और इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी पदोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा । किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस					
		लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की					
		जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति					
		आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे					
9.	आय्	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के					
		लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित					
		अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।					

पर पिछले 10 वर्षों में लगायी गयी कोई बड़ी अथवा छोटी शास्ति, यदि कोई हो, का विवरण, (iv) अनुलग्नक-5 में दिए गए अनुसार सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र और (vi) काडर क्लीयरेंस दस्तावेज संलग्न होंगे। अनुलग्नक-2 से 5 इस मंत्रालय की वेबसाइट (http://mowr.gov.in) पर उपलब्ध हैं और वहां से इन्हें डाउन लोड किया जा सकता है।

- 4. अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद अथवा निर्धारित दस्तावेजों के बिना अथवा अन्य किसी रूप में अपूर्ण पाये गए अथवा निर्धारित प्रोफार्मा में न होने की सूरत में प्राप्त आवेदनों को मंजूर नहीं किया जायेगा। पद के लिए चयन हो जाने पर अधिकारियों को अपनी उम्मीदवारी वापिस लेने की अन्मित नहीं होगी।
- 5. आवेदन अग्रेषित करने से पहले सक्षम अधिकारी इसकी पुष्टि अवश्य कर लें कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना उनके सेवा अभिलेख से सत्यापित कर ली गयी है और उसे ठीक पाया गया है तथा आवेदन पर सरकारी मोहर सहित प्रति हस्ताक्षर भी होने चाहिएं। यह भी पुष्टि कर ली जाए कि नियुक्ति के लिए चयन होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 6. निबंधनों और शर्तों सहित विज्ञापन का ब्यौरा इस मंत्रालय की वेबसाइट (http://mowr.gov.in) पर उपलब्ध है जिसे वहां देखा जा सकता है।
- 7. कृपया इसका अपने संगठन की विभिन्न इकाईयों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

भवदीय, ally signed by K.H. RAMAKRISHNAN FIN Sep 27 133014 IST 2019

संलग्नक : अनुलग्नक 1 से 5

(के॰एच॰ शिवारामाकृष्णन) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाष सं. 23714350

प्रतिलिपि: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग। अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।



A	nr	e)	xu	re	-3
_	_	_	_	_	_

. <u>VIG</u>	ILANCE CLEA	RANCE CER	TIFICATE		
Certified that no vigilance case or discontemplated against Dr./Shri/Smt., applied for the post of	/Ms			, W	ho has the
			Name & Offic Date		natory)
				Anne	exure-4
	NO PENALT	Y CERTIFIC	ATE	¥	
Certified that no minor/major por./Shri/Smt./Ms			, who		post of the
			Name & Offi	(Authorised sig ce Seal : Date:	natory)
				Anne	exure-5
	INTEGRIT	CERTIFICA	<u>ATE</u>		
After scrutinizing Dr./Shri/Smt./Ms			, who		the
certified that his/her integrity is bey	ond doubt.	d		_ on deputation bas	115, 11 15
(T	o be signed b	y an office	r of the rank o Name & Off	f Deputy Secretary or ice Seal :	above)

Annexure-2

Bio Data Proforma

- 1. Name and address (in Block Letters): Telephone Number:
- 2. Date of Birth (in Christian era):
- 3. Date of retirement under Central Government Rules:
- 4. Educational Qualifications:
- 5. Whether educational and other qualifications required for the posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to those prescribed in the rules, state the authority for the same)

Qualifications / Experience Required	Qualifications / Experience possessed by the Officer
Essential	
Desirable	

- Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.
- 7. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

Office/Institution/ organisation	Post held and service / cadre to which it belongs	From	То	Pay in the pay band and classification of post	Nature of duties

- 8. Nature of present employment, i.e.,
 - (i) Ad-hoc basis
 - (ii) Regular / on temporary basis
 - (iii) Pay in the Pay Band
 - (iv) Grade Pay drawn
- 9. In case the present employment is held on deputation / contract basis, please state:
 - (a) The date of initial appointment
 - (b) Period of appointment on deputation / contract
 - (c) Name of the parent office/organisation to which you belong
- 10. Additional details about present employment. Please state whether working under:
 - (a) Central Government
 - (b) State Government
 - (c) Autonomous organisation

- 5. Before forwarding the applications, Competent Authority must certify that information furnished by the applicants are verified with their Service record and found correct and should also countersign the application with the office seal. It may also be confirmed that in the event of selection for appointment, the officer concerned will be relieved of her/his duties.
- 6. The detailed of advertisement including the terms and conditions is available on this Ministry's website (http://mowr.gov.in/) and may be seen therefrom.
- 7. This may please be given wide circulation in the various units of your organization.

Encl.: Annexure 1 to 5

Yours faithfully, Digitally signed by K.H. SIVARAMAKRISHNAN Date:Fn Sep 27 13:29:42 IST 2019 Reason:Approved

(K.H. Sivaramakrishnan) Under Secretary to the Govt. of India Tele No. 23714350

Copy to: NIC, D/o WR, RD & GR with request for uploading the enclosed advertisement on the Ministry's website.



No. 75075/67/2019-Estt.-IX
Govt of India
Central Water Commission

3rd floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram New Delhi-66 Dated:- March, 2020.

CIRCULAR

Subject: Filling up of one post of Section Officer in Farakka Barage Project, a subordinate office under Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation on deputation (including short term contract) basis-reg.

Please find enclosed herewith DoWR, RD & GR's letter No. A.12025/1/2016-E-III dated 24.02.2020 on the above cited subject.

- 2. In this regard, DoWR, RD & GR vide letter No. A.12025/1/2016-E-III dated 27.10.2019 has earlier invited the applications for filling up of a post of Section Officer in Farakka Barage Project in Level-7 of pay matrix on deputation (short term contract) basis. Accordingly, a circular dated 25.10.2019 in this regard has been placed on the CWC Website. However, no application in this regard has been received by E-IX Section till date.
- 3. Now, DoWR, RD & GR vide letter No. A.12025/1/2016-E-III dated 24.02.2020 has stated that the last date of receipt of applications for filling up the one post of Section Officer in the Level-7(Rs. 44900/--142400/-) in the pay matrix on deputation (including short term contract) basis in Farakka Barage Project, Murshidabad, a subordinate office under Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation has been extended for a period of 30 days from the date of publication of the advertisement in the Employment News.
- 4. In this regard all the eligible officers of CWC who are willing to apply, are hereby requested to forward their application along with necessary documents prescribed in DoWR, RD & GR's letter dated 24.02.2020, through proper channel at the earliest.

(Jyotsna Kapur)
Section Officer

Encl: As above